उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-6/305/26-1-2014-4(9)/2013

लखनऊ : दिनांक: 29 जनवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

श्री आर0के0 सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जो कि जनपद सोनभद्र में तैनाती के प्रकरण में पूर्व से निलम्बित चल रहे हैं, के जनपद लखीमपुरखीरी में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान विभिन्न विभागीय योजनाओं (महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शादी बीमारी योजना) की विभिन्न वर्षो की वापसी की प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंकों में नियम विरूद्ध तरीके से खाता संचालित करते हुए धनराशि का अन्तरण कर अनियमित रूप से वितरित करने, अवशेष पड़ी धनराशि का निस्तारण न कराये जाने, ओ0ए0पी0-08 पंजिकाओं का उचित अनुरक्षण न कराये जाने इत्यादि अनियमितताओं के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 में अंकित प्राविधानों के अंतर्गत श्री आर0के0 सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा प्रकरण की जॉच हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन) लखनऊ मण्डल, लखनऊ को पदनाम से जॉच अधिकारी नियुक्त करते है।

राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-6/305(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
4- कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
5- अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- श्री आर0के0 सिंह (निलम्बित), जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सम्बद्ध निदेशालय समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in